

C/No 107/2017

17/02/22

पुत्रावली पेश हुई वकील वादी अ. व. ही वकील वादी को रूक-रूक कर 5-30 p.m. तक आवाज लगवाई गई वकील वादी या उनका कोई प्रतिनिधि अ. नहीं।

अतः वादी का वाद अयम पैरवी अयम हाजरी में खारिज किया जाकर पुत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

